भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 51/8/वीवीपीएटी/2015-ईएमएस दिनांक : 5 मई, 2015

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संदर्भ :
1. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 51/8/99-वाल्यूम VIII दिनांक 2 जून, 1999
2. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 51/8/6/2010-ईएमएस, दिनांक 3 मई, 2010
3. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 51/8/7/2011-ईएमएस, दिनांक 14 फरवरी, 2012
4. भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं. 51/8/6/2012-ईएमएस, दिनांक 8 अगस्त, 2012

विषय : **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भंडारण एवं सुरक्षा की व्यवस्था-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

आयोग ने यह निदेश दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की समुचित सुरक्षा और संरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के विभिन्न पहलुओं जैसे भंडारण, मूवमेंट, प्रत्यक्ष सत्यापन पर निर्गत ऊपर संदर्भित अनुदेशों के अधिक्रमण में, निम्नलिखित अनुदेशों का बिना किसी विचलन के कड़ाई से अनुपालन किया जाए :-

1. गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान

गैर-निर्वाचन अवधि का अर्थ निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से छह महीने बाद की अवधि से है।

क. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का प्रत्यक्ष सत्यापन

गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में ईवीएम का 100% प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा ताकि उसकी रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को प्रत्येक वर्ष 15 मई तक उपलब्ध करा दी जाए। इस प्रयोजन के लिए आयोग ईवीएम-वेयरहाउसों को खोलने के लिए एक निदेश जारी करेगा। आयोग से निदेश मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे :-

(क) सीईओ/डीईओ यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ईवीएम वेयरहाउस जिनमें किसी निर्वाचन याचिका या न्यायालयीन मामलों से जुड़ी ईवीएम स्टोर की गई हैं, ईवीएम के प्रत्यक्ष सत्यापन के प्रयोजनार्थ नहीं खोले जाएंगे।

(ख) ऐसे नामित प्रभारी डिप्टी कलेक्टर ईवीएम-वेयरहाउस खोलने [ऊपर (क) में उल्लिखित ईवीएम-वेयरहाउस के सिवाय] और ईवीएम का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के प्रयोजन से एक अधिकारी, जिनका रैंक अपर जिला मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर से कमतर न हो, नामित करेंगे जो समूचे जिले में ईवीएम के समग्र भंडारण के प्रभारी होंगे। वेयरहाउस खोलने वाले या ईवीएम का सत्यापन करने वाले संबंधित डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार ईवीएम की सुरक्षा के लिए-व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इसी तरह, डीईओ, एक अधिकारी जिनका रैंक डिप्टी कलक्टर से कमतर नहीं हो, भी नामित करेंगे जो प्रत्येक गोदाम के प्रभारी होंगे।

(ग) राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्तर की मान्यताप्राप्त राजनीतिक पार्टियों को ईवीएम वेयरहाउस के खुलने एवं बंद होने की तारीख एवं समय के बारे में कम से कम 24 घंटे पहले लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। उनके अधिकृत प्रतिनिधि को वेयरहाउस के खुलने और बंद होने के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के विवरणों का रख-रखाव मास्टर स्टॉक रजिस्टर (एमएसआर) में किया जाएगा। एमएसआर का रख-रखाव प्रत्येक जिले के लिए वेयर हाउसवार अनुबंध-क में दिए गए फार्मेट में किया जाएगा।

(ङ) इस एमएसआर के आधार पर डीईओ संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अनुबंध-ख में दिए गए फार्मेट में एक प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे।

ख. ईवीएम का भंडारण

i. ईवीएम, जहां कहीं भी संभव हो, कोषागार में रखी जानी चाहिएं।

ii. ईवीएम एक ऐसे पृथक वेयरहाउस में स्टोर की जानी चाहिएं जहां ईवीएम के सिवाय कुछ भी नहीं रखा जाता हो।

iii. ईवीएम सामान्यतया जिला मुख्यालयों में स्टोर की जानी चाहिएं।

iv. हालांकि, यदि ईवीएम को जिला मुख्यालयों में स्टोर करना संभव नहीं हो तो ईवीएम भंडारण वेयरहाउस तहसील मुख्यालयों से नीचे के स्थान में नहीं होना चाहिए।

v. किसी भी ईवीएम को आयोग के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बगैर किसी भी प्रयोजन के लिए ईवीएम वेयरहाउस से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए (अर्थात् सभी ईवीएम, ईवीएम वेयरहाउस में ही रखी जानी चाहिएं, न कि किसी अन्य स्थान पर)

vi. ईवीएम भंडारण वेयरहाउस में एक (1) से अधिक प्रवेश प्वाइंट नहीं होने चाहिएं। यदि वेयरहाउस में कोई अन्य दरवाजे या खिड़कियां हैं तो उन्हें ईंट-चिनाई या कंक्रीट का इस्तेमाल करके बंद किया जाना चाहिए।

vii. ईवीएम भंडारण वेयरहाउस में प्रवेश निश्चित रूप से डबल लॉक सिस्टम से सुरक्षित किया जाना चाहिए जो डीईओ द्वारा नामित किए जाने वाले दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किए जाने चाहिए। उनमें से एक डिप्टी कलक्टर के रैंक से कमतर नहीं होना चाहिए।

ग. वेयरहाउस की भौतिक स्थिति

i. वेयरहाउस नमी, नाशी कीटों, कृंतकों आदि से मुक्त होने चाहिएं। समुचित अग्निरोधी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। वेयरहाउस बाढ़/जल जमाव जोखिम/दरार/लीकेज/टूटी हुई खिड़कियों आदि से मुक्त होने चाहिएं। स्ट्रांग रूम में दुर्गंध न फैले, इसके लिए वायु-संचरण हेतु इनलेट/आउटलेट उपलब्ध कराने के लिए एग्जॉस्ट फैन संस्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :-

(क) एग्जॉस्ट फैन स्ट्रॉग रूम के सामने वाले भाग पर संस्थापित किए जाएंगे जहां सुरक्षा गार्ड्स तैनात किए जाते हैं न कि पिछले भाग पर।

(ख) एग्जॉस्ट फैन छत के नीचे उच्चतम संभव प्वाइंट पर संस्थापित किए जाएंगे

(ग) जहां एक्जॉस्ट फैन संस्थापित किए जाएंगे वहां रोशनदान/निकास पर एक मजबूत आयरन ग्रिल संस्थापित की जाएगी।

(घ) प्रत्येक वेयरहाउस के लिए एक वैक्यूम क्लीनर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ङ) सेफ्टी अलार्म सिस्टम/सीसीटीवी संस्थापित किए जाने चाहिए।

(च) ईवीएम सुरक्षित तरीके से रखी जानी चहिए।

ii. वेयरहाउस में चौबीसों घंटे पुलिस/सुरक्षा कर्मी को तैनात करके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. ईवीएम का मूवमेंट

गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान ईवीएम आयोग के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बगैर ईवीएम वेयरहाउस से बाहर नहीं निकाली जाएंगी।

आयोग के निदेश पर ईवीएम की राज्य के भीतर या राज्य से बाहर शिफ्टिंग के मामले में निम्नलिखित का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा :-

i. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईवीएम शिफ्ट किए जाने संबंधी आयोग के निदेश से संबंधित डीईओ को अवगत कराएंगे।
ii. डीईओ ईवीएम-वेयरहाउस खोलने [I(अ)(क) में उल्लिखित ईवीएम वेयरहाउस के सिवाय]के लिए ऊपर पैरा I(अ)(ख) में संदर्भित अधिकारी को अपेक्षित संख्या में ईवीएम को शिफ्ट करने के लिए लिखित आदेश जारी करेंगे।
iii. डीईओ से लिखित आदेश प्राप्त करने पर, नामित अधिकारी बाहर निकाले जाने वाली ईवीएम की पहचान करेंगे और ऐसी ईवीएम के विवरणों की मास्टर स्टॉक रजिस्टर/मूवमेंट रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगे और ईवीएम प्राप्त करने वाले अधिकारी से ईवीएम प्राप्त करने के प्रमाणस्वरूप लिखित पावती लेंगे।

2. निर्वाचन अवधि के दौरान

अ. ईवीएम का प्रत्यक्ष सत्यापन

यदि वर्ष के दौरान साधारण निर्वाचन हो तो डीईओ ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के दौरान ईवीएम का 100% भौतिक सत्यापन करेंगे और अनुबंध-ग में दिए गए फार्मेट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे।

ब. ईवीएम का भंडारण

क) <u>मतदान-पूर्व भंडारण</u>

ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच और पहले यादृच्छिकरण के बाद, ईवीएम संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दी जाएंगी। रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे :-

i) आरओ/एआरओ अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लिए आबंटित ईवीएम को राष्ट्रीय/राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, वीडियोग्राफी के अधीन, स्ट्रांग रूम में स्टोर करेंगे। प्रशिक्षण एवं मतदाताओं की जागरूकता के लिए नियत ईवीएम एक पृथक स्ट्रांग रूम

में रखी जाएंगी जिससे कि मतदान के लिए निर्दिष्ट ईवीएम (आरक्षित ईवीएम सहित) को ईवीएम की तैयारी से पहले खोलने की जरूरत नहीं पड़े।

ii) तदुपरांत, आरओ ईवीएम की तैयारी (अभ्यर्थी सैटिंग) के समय मतदान के लिए निर्दिष्ट ईवीएम (आरक्षित ईवीएम सहित) वाले स्ट्रांग रूम को अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, वीडियोग्राफी के अधीन, खोलेंगे।

iii) आरओ स्तर पर ईवीएम तैयार करने के बाद, आरक्षित ईवीएम सहित ईवीएम अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, वीडियोग्राफी के अधीन, पुनः स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी।

iv) इसके पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थी/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान दलों की रवानगी वाले दिन ई वी एम वाले स्ट्रांग रूम (आरक्षित ई वी एम सहित) को खोलेंगे।

v) मतदान की समाप्ति के पश्चात मतयुक्त ई वी एम को वीडियोग्राफी के अधीन, अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 'डबल लॉक' सिस्टम में स्टोर करने के लिए स्ट्रांग रूम तक पहरे में वापस ले जाया जाएगा।

ख <u>मतदान-पश्च भंडारण:</u>

स्ट्रांग रूमों, जहां मतों की गणना के लिए मतयुक्त ई वी एमों को रखा जाता है, की सुरक्षा और संरक्षा के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाए :-

i स्ट्रांग रूमों में डबल लॉक सिस्टम होना चाहिए। एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और दूसरी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए।

ii मतगणना के लिए मतयुक्त ई वी एमों वाले स्ट्रांग रूमों के लिए चौबीसों घंटे दो घेरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। केन्द्रीय पुलिस बल को स्ट्रांग रूम के बिल्कुल समीप वाली सुरक्षा परिधि की निगरानी करनी चाहिए और राज्यीय सशस्त्र पुलिस को बाह्य परिधि की सुरक्षा करनी चाहिए।

iii निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को स्ट्रांग कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने के संबंध में लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए। उन्हें उस स्थान की आंतरिक परिधि के बाहर खड़े रहने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे वे स्ट्रांग कक्ष के प्रवेश द्वार को देख सकें। उन्हें यथासंभव उचित छाया, पीने के पानी इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यदि वहां से स्ट्रांग कक्ष के प्रवेश बिंदु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है तो ऐसी अवस्थितियों पर सी सी टी वी की व्यवस्था की जाए ताकि वे सी सी टी वी पर स्ट्रांग रूम के दरवाजे को देख सकें। ऐसे मामले में उन्हें समय-समय पर समूहों में आंतरिक परिधि में ले जाएं ताकि वे उसे

देख सकें और उसका सत्यापन करके स्वयं को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के संबंध में संतुष्ट कर सकें।

iv स्ट्रांग कक्ष के समीप ही एक कंट्रोल रूम को चौबीसों घंटे प्रचालन में होना चाहिए।

v एक पुलिस अधिकारी सहित एक राजपत्रित अधिकारी को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुवीक्षण के लिए चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए।

vi स्ट्रांग रूम के पास और उसके अंदर अग्निशामक की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

vii अप्रयुक्त ई वी एमों की सुरक्षा के लिए भी चौबीसों घंटे व्यवस्था की जानी चाहिए।

viii निम्नलिखित प्रोटोकॉल का पालन किए बिना किसी को भी आंतरिक परिधि में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए :-

क) केन्द्रीय पुलिस बल द्वारा एक लॉग बुक का रख-रखाव किया जाना चाहिए जिसमें तारीख, समय अवधि और दूसरा सुरक्षा चक्र अर्थात् मध्य परिधि पार करने वाले व्यक्तियों का नाम लिखा जाना चाहिए। इसमें प्रेक्षकों या जिला निर्वाचन अधिकारियों अथवा पुलिस अधीक्षकों या अभ्यर्थियों, या उनके अभिकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति का विजिट शामिल है।

ख) केन्द्रीय पुलिस बल की टुकड़ी को वीडियो कैमरा उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि वे ऐसे आगंतुकों के आने की रिकार्डिंग कर सकें।

ix यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संपूर्ण अवधि के दौरान ई वी एमों के भंडारण वाले स्ट्रांग कक्ष की अवस्थितियों पर विद्युत आपूर्ति निरंतर बनी रहनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में संबंधित विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को अलग से लिख सकते हैं। स्थानीय विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए। निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जैनरेटर को स्टैंडबाई रूप में आकस्मिक व्यवस्था के लिए रखा जाना चाहिए।

x सी ई ओ, अपर सी ई ओ, भारत निर्वाचन आयोग में डी ई सी प्रभारी और संबंधित डीईओ/एसपी/सीओपी/आरओ की दूरभाष संख्या अभ्यर्थियों को दी जानी चाहिए जो ये नम्बर स्ट्रांग रूम अवस्थिति (तियों) पर नज़र रख रहे अपने प्रतिनिधियों को देंगे। अभ्यर्थी अपने प्रतिनिधियों को सलाह दे सकते हैं कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

xi स्ट्रांग रूम के सभी प्रवेश बिंदुओं (दरवाजे इत्यादि) की उपलब्ध वैब कैमरा और लैपटॉप का प्रयोग करते हुए लगातार वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। यदि स्ट्रांग रूम के अन्य दरवाजे हैं तो उनकी भी वैब कैमरा से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। लैपटॉप से बैकअप लेने आए व्यक्तियों के पास उन्हें उपलब्ध कराए गए पहचान पत्र होने चाहिए और उनके नाम के संबंध में वहां तैनात केन्द्रीय पुलिस बल की टुकड़ी को पहले से सूचित किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय पुलिस बल टुकड़ी द्वारा उन्हें पूरी अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए वीडियो कैमरा से उनके आने की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।

xii रिटर्निंग अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह और शाम भंडारण कैंपस (केवल आंतरिक परिधि तक) में जाना चाहिए और लॉग बुक और वीडियोग्राफी की जांच करनी चाहिए और प्रतिदिन की स्थिति पर जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। स्ट्रांग रूमों के जिला मुख्यालय में होने की स्थिति में, जिला निर्वाचन अधिकारी यही कार्य करेंगे। जहां स्ट्रांग रूम जिला मुख्यालयों के बाहर स्थित हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी को यथासंभव वहां अक्सर जाना चाहिए और कम से कम तीन-चार दिनों में एक बार।

xiii किसी भी अधिकारी या मंत्री अथवा अन्य किसी राजनैतिक कार्यकर्ता को वाहन सहित किसी संरक्षित कैंपस, जहां ईवीएमों का भंडारण किया गया है, में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहनों से उतरने के बिन्दु हेतु बाहरी परिधि के बाहर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए, यह केवल पैदल चलने वालों का क्षेत्र होना चाहिए।

xiv डीसी और पुलिस अधीक्षक जिले के अंदर स्ट्रांग कक्ष की सुरक्षा और प्रोटोकाल के कुशल कार्यान्व्यन के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस पत्र की प्रति सभी अभ्यर्थियों, डीईओ, आरओ और केन्द्रीय पुलिस बल के कमांडेंट को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

xv मतगणना वाले दिन स्ट्रांग कक्ष को वीडियोग्राफी के अधीन अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों, आर ओ तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में खोला जाएगा।

xvi मतगणना की समाप्ति के पश्चात, कंट्रोल यूनिटों को आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सील कर दिया जाएगा। इसके पश्चात ई वी एमों (बैलेट यूनिटों और कंट्रोल यूनिटों) को भंडारण के लिए स्ट्रांग कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

भवदीय

(मधुसूदन गुप्ता)

अवर सचिव

अनुबंध – क

(मास्टर स्टॉक रजिस्टर)

(भाग-क (कंट्रोल यूनिट)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :

जिले का नाम :

उप-प्रभाग/तालुक का नाम :

वेयरहाउस का पता:

बॉक्स संख्या	सीयूआईडी संख्या	विनिर्माता का नाम	विनिर्माण वर्ष	प्राप्ति की तारीख	रसीद चलान सं.	रसीद चलान पर तारीख	प्राप्तकर्ता का नाम व पदनाम	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	वेयरहाउस प्रभारी के हस्ता.	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग-ख (बैलेट यूनिट)

बॉक्स संख्या	बीयूआईडी संख्या	विनिर्माता का नाम	विनिर्माण वर्ष	प्राप्ति की तारीख	रसीद चलान सं.	रसीद चलान पर तारीख	प्राप्तकर्ता का नाम व पदनाम	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	वेयरहाउस प्रभारी के हस्ता.	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अनुबंध – ख

(भौतिक सत्यापन रिपोर्ट)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :

जिले का नाम :

वेयरहाउस का नाम	वेयरहाउस की अवस्थिति	मास्टर स्टॉक रजिस्टर में यथा उल्लिखित वेयरहाउस में कंट्रोल यूनिटों की सं.		भौतिक रूप से सत्यापित कंट्रोल यूनिटों की सं.		मास्टर स्टॉक रजिस्टर में यथा उल्लिखित वेयरहाउस में उन कंट्रोल यूनिटों की सं. जो वहां नहीं है		मास्टर स्टॉक रजिस्टर में यथा उल्लिखित वेयरहाउस में बैलेट यूनिटों की सं.		भौतिक रूप से सत्यापित बैलेट यूनिटों की सं.		मास्टर स्टॉक रजिस्टर में यथा उल्लिखित वेयरहाउस में उन बैलेट यूनिटों की सं. जो वहां नहीं है	
		बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल

नोट : वेयरहाउस में ई वी एम उपलब्ध न होने के संबंध में, रिपोर्ट में तत्संबंधी कारण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर)

अनुबंध – ग

(भौतिक सत्यापन रिपोर्ट)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :

जिले का नाम :

वेयरहाउस का नाम	वेयरहाउस की अवस्थिति	वेयरहाउस में कंट्रोल यूनिटों की सं.		भौतिक रूप से सत्यापित और एफएलसी की गई कंट्रोल यूनिटों की सं.		एफएलसी के दौरान दोषपूर्ण पाई गई कंट्रोल यूनिटों की सं.		मास्टर स्टॉक रजिस्टर में यथा उल्लिखित वेयरहाउस में बैलेट यूनिटों की सं.		भौतिक रूप से सत्यापित और एफएलसी की गई कंट्रोल यूनिटों की सं.		एफएलसी के दौरान दोषपूर्ण पाई गई कंट्रोल यूनिटों की सं.	
		बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईल	बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल	बीईएल	ईसीआईएल

नोट : वेयरहाउस में ई वी एम उपलब्ध न होने के संबंध में, रिपोर्ट में तत्संबंधी कारण का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।